स्वी०आ०सं०–5 / यो० / वृ०श०परि०(Utility Shifting)–11 / 2017 / न०वि०आ० 248

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP
अनुदान

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 06/02/18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017–18 में राँची शहर के पथ नं–1 (एयरपोर्ट से बिरसा चौक) निर्माण के क्रम में पेयजल जलापूर्ति पाईप लाईन शिफ्ट (Utility Shifting) करने हेतु रू० 3,34,85,100/–(तीन करोड़ चौंतीस लाख पच्चासी हजार एक सौ रूपये) मात्र के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय संकल्प संख्या–2195, दिनांक–31.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–2195, दिनांक–31.03.2017 द्वारा राँची शहर के पथ नं–1 (एयरपोर्ट से बिरसा चौक) निर्माण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु रू० 53,79,93,393/–(तिरपन करोड़ उनयासी लाख तिरानवे हजार तीन सौ तिरानवे रूपये) की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन पर कुल रू० 47,21,14,607/– (सैतालीस करोड़ इक्कीस लाख चौदह हजार छः सौ सात रूपये) पर भूमि अधिग्रहण अर्थात् कुल 101.01 करोड़ (एक सौ एक करोड़ एक लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त संकल्प संख्या के कंडिका–5(B)(2) में पेयजल जलापूर्ति के पाईप लाईन शिफ्ट (Utility Shifting) करने हेतु कोई राशि प्रावधानित नहीं है।

3. योजना के कार्यान्वयन के दौरान कार्यकारी एजेंसी द्वारा पेयजल जलापूर्ति के पाईप लाईन शिफ्ट (Utility Shifting) करने की आवश्यकता महसूस की गई।

4. पथ नं–1 (एयरपोर्ट से बिरसा चौक) निर्माण हेतु पेयजल जलापूर्ति के पाईप लाईन शिफ्ट (Utility Shifting) करने हेतु कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया, राँची द्वारा रू० 3,34,85,100/– के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. उक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में राँची शहर के पथ नं–1 (एयरपोर्ट से बिरसा चौक) निर्माण के क्रम में पेयजल जलापूर्ति पाईप लाईन शिफ्ट (Utility Shifting) करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए जुडको लि०, राँची को कुल रू० 3,34,85,100/–

(तीन करोड़ चौंतीस लाख पच्चासी हजार एक सौ रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग संख्या–48 के अधीन निम्नांकित बजट शीर्ष की जायेगी:–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–79–वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना STATE SCHEME-MAJOR URBAN TRANSPORT PROJECTS, SOLID WASTE MANAGEMENT, SEWRAGE & DRAINAGE AND CIVIC INFRASTRUCTURE (1085)–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780796790679

248
06/02/18

7. स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनिवार्य रूप से प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से करते हुए जुडको लि० के पी०एल० खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

8. जुडको लि० द्वारा आवश्यकतानुसार राशि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया, रांची को उपलब्ध कराई जायेगी।

9. स्वीकृत राशि का व्यय कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया, रांची द्वारा प्रदत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार ही किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में योजना का विचलन नहीं किया जायेगा।

10. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष 2015–16 में रांची नगर निगम को उक्त मद में कोई राशि निर्गत नहीं की गई है। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र विवरणी शून्य है।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा।

12. विपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य होगा कि पूर्व के वर्षों में निकासी की गई संपूर्ण राशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया गया है जिन मदों के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

13. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम–340–343/कोषागार संहिता के नियम–300 एवं संगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दि०–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

Kunal Singh 15.1.18

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/यो०/वृ०श०परि०(Utility Shifting)–11/2017/न०वि०आ० 248 राँची, दिनांक– 06/02/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना– सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/परियोजना निदेश(तकनीकी), जुडको लि०/महाप्रबंधक, जुडको लि०/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची/उपायुक्त, रांची/नगर आयुक्त, रांची नगर निगम/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया, रांची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा(दो प्रति में), नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची/श्री कुणाल, सी०एम०एम० को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kunal Singh 15.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।